न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 38/2015 – निगरानी

1. श्री रामस्वरूप पुत्र रामदयाल सुवालका निवासी शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला भीलवाडा	बनाम	1. नगरपालिका शाहपुरा द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका शाहपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अन्तगर्त धारा 312 व 327 नगर पालिका कानून 2009 बाबत नगर पालिका शाहपुरा प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 13.05.2015 को निरस्त कराने

निर्णय

दिनांक 21–12–2016

1. श्री भैरूलाल वैष्णव अधिवक्ता निगराकार की ओर से उपस्थित
2. श्री मोहम्मद इमरान छीपा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित

निगराकार की ओर से यह निगरानी नगर पालिका कानून 2009 की धारा 312 व 327 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व दिनांक 12.08.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार द्वारा उम्मेदसागर रोड, मुखर्जी सर्किल के पास, शाहपुरा स्थित व्यावसायिक भूखण्डों को विकय हेतु नीलामी दिनांक 23.02.2004 से 24.02. 2004 तक 55 व्यावसायिक भूखण्ड को विकय करने हेतु नीलामी का आयोजन किया गया जिसमें 25000/–रू. नीलामी सरकारी बोली निर्धारित की गयी , जो नजूलदर अनुसार थी। दिनांक 24.02.2004 को निगराकार द्वारा बोली लगायी गयी जिसमें भूखण्ड सं. 05 नपती 10 बाई 20 फीट की बोली रूपये 65,500/– की लगायी गयी जो सबसे अधिक होने से स्वीकृत की गयी । नियमानुसार 1/4 राशि मौके पर गैर निगराकार के यहां नगद जमा करा दी । शेष 3/4 राशि जमा कराने व निर्धारित समयावधि में गैर

अति. जिला कलक्टर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निगराकार के यहां टेण्डर करने गया, परन्तु लेने से मना कर दिया तथा आश्वासन दिया कि न्यायालय से स्थगन होने से निर्णय के बाद सूचित कर दिया जायेगा, परन्तु गैर निगराकार द्वारा जमाशुदा राशि को लौटाने का प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 13.05.2015 को लिया गया जिसके विरूद्व यह निगरानी पेश की है । प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 13.05.2015 विधि व तथ्यों के विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है । गैर निगराकार द्वारा दिनांक 19.02.2004 को उम्मेद सागर चौराहा मुखर्जी सर्किल शाहपुरा के पास पालिका की भूमि का प्लान मण्डल के निर्णय अनुसार सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुये व्यावसायिक भूखण्डों की नीलामी द्वारा विक्रय करने की स्वीकृति जरिये प्रस्ताव सं. 05 लिया गया था, जिसके प्रभाव में रहते हुए उक्त नीलामी पेटे जमा राशि लौटाने का तथाकथित प्रस्ताव लिया गया, जो अवैध होने से खारिज योग्य है । गैर निगराकार द्वारा विधिपूर्वक नीलामी की गयी तथा सक्षम अधिकारी द्वारा निगराकार की नीलामी बोली सबसे अधिक होने से स्वीकार की गयी, जिसे नजर अंदाज कर प्रस्ताव लिया गया , जो विधि विरूद्व होने से अस्वीकार है । उम्मेद सागर चौराहा पर प्लान अनुसार जनहित के लिये आम सभा के लिये व अन्य प्रयोजनार्थ पर्याप्त स्थान रखा गया तथा पास में एक बडा पार्क है तथा प्लान मण्डल के निर्णय अनुसार वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर से स्वीकृत था तथा स्वीकृत प्लान के आधार पर की गयी नीलामी कार्यवाही वैध है । न्यायालय द्वारा नीलामी कार्यवाही को वैध करार दिया जाने के बाद भी तथाकथित प्रस्ताव पारित किया, जो अवैध होने से निरस्त होने योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार का प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 13.05.2015 को निरस्त फरमाया जावे तथा गैर निगराकार को निर्देशित किया जावे कि नीलामी राशि की बकाया राशि 3/4 हिस्सा राशि जमा कर नियमानुसार भूखण्ड का पटटा जारी किया जावे ।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर (राज.)

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 20.08.2015 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत से पटटा जारी करने संबंधी पत्रावली तलब की गयी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

गैर निगराकार नगर पालिका शाहपुरा की ओर से दिनांक 29.09.2016 को जंवाब प्रस्तुत किया । प्रस्तुत जवाब में गैर निगराकार ने बताया कि प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 13.05.2015 को दिनांक 14.10.2015 पर पुनः विचार व निर्णय किया गया कि प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 13.05.2015 को निरस्त किया जाता है तथा वर्ष 2004 में जरिये नीलामी विक्रय

किये गये 08 भूखण्डों की बकाया 3/4 राशि जमा किये जाकर नियमानुसार पंजीयन किया जावे एवं प्लान के शेष भूखण्डों को सार्वजनिक नीलामी से विक्रय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। चूंकि न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.11.2015 को निगरानी नम्बर 72/2015 पेश हो जाने से नगरपालिका द्वारा पंजीयन की कार्यवाही आगे अमल में नहीं ली जा सकी । अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय सिविल जज ,वरिष्ठ खण्ड शाहपुरा के न्यायालय में प्रकरण सं. नया नम्बर 30/2013 व पुराने नम्बर 26/2004 ई. दी. में दिनांक 25.02.2015 को निषेधाज्ञा का वाद पत्र खारिज फरमाया जा चुका है । उसमें नीलामी नहीं करने बाबत् निषेधाज्ञा का दावा किया गया था । अतः सिविल न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा का दावा खारिज हो चुका है । प्लान नगर नियोजन विभाग द्वारा अनुमोदित होकर नगर पालिका द्वारा प्लान की पालना की जाकर नियमानुसार पंजीयन व नीलामी की कार्यवाही की गयी । अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि पंजीयन एवं नीलामी कराने बाबत् आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें जिससे नगर पालिका शाहपुरा क्षैत्र की सड़कों , नालियों, पानी के बहाव की समुचित व्यवस्था होकर शहर के विकास कार्य कराये जा सके ।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार व गैर निगराकार के अधिवक्ताओं की दिनांक 21.12.2016 को बहस सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया । नगरपालिका बोर्ड शाहपुरा के प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 14.10.25015 एवं पूर्व प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 13.5.2015 को निरस्त करने हेतु निगराकार द्वारा निगरानी पेश की है। उम्मेदसागर चौराहे पर पालिका द्वारा नगर नियोजक से स्वीकृत 55 दुकानों के व्यावसायिक प्लान में से 9 दुकानों का विक्रय नीलामी के जरिये दिनांक 19.02.2004 को किया गया । उक्त नीलामी के विरूद्व नगर पालिका शाहपुरा द्वारा न्यायालय में नीलामी की निरस्ती करने हेतु माननीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड शाहपुरा में वाद सं. 30 /2013 (26/2004) दायर किया गया जो निर्णय दिनांक 25.02.2015 को निर्णित हुआ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

उम्मेदसागर चौराहा स्थित व्यावसायिक प्लान विधि अनुसार यथावत रखते हुए मण्डल के पूर्व प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 13.5.2015 को निरस्त करते हुये तथा वर्ष 2004 में जरिये नीलामी विक्रय किये जाकर नियमानुसार पंजीयन की कार्यवाही करने एवं प्लान

के शेष भूखण्डों की सार्वजनिक नीलामी से विक्रय को स्वीकृति नगर पालिका शाहपुरा द्वारा दिनांक 14.10.2015 को प्रदान की गयी है ।

उम्मेदसागर चौराहा पर प्लान अनुसार जनहित के लिये आम सभा के लिये व अन्य प्रयोजनार्थ पर्याप्त स्थान रखा गया तथा पास में एक बडा पार्क है तथा प्लान मण्डल के निर्णय अनुसार वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर से स्वीकृत था तथा स्वीकृत प्लान के आधार पर गैर निगराकार द्वारा की गयी नीलामी कार्यवाही वैध है । न्यायालय द्वारा भी नीलामी कार्यवाही को वैध करार दिया गया है ।

निगराकार ने निगरानी अन्तर्गत धारा 312 व 327 नगरपालिका कानून 2009 के तहत प्रस्तुत की है । इस निगरानी को गेरनिगराकार अधिशाषी अधिकारी शाहपुरा ने अपने जवाब में स्वीकार करते हुये अंकित किया है कि नगर पालिका शाहपुरा के प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 13.05.2015 को निरस्त कर इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करते हुये दिनांक 14.10.2015 को प्रस्ताव पारित करते हुये यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2004 में जरिये नीलामी से विक्रय किये गये 8 भूखण्डों की बकाया 3/4 राशि जमा किया जाकर नियमानुसार पंजीयन कराया जावे । उक्त पुनर्विचार निर्णय दिनांक 14.10.2015 के अनुसार नीलामी की 3/4 राशि जमा होना एवं पंजीयन हेतु स्टाम्प भी नगर पालिका शाहपुरा में पेश किया जाना अंकित किया है । इसके साथ ही माननीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड शाहपुरा के न्यायालय प्रकरण सं. 30/13 व पुराने नम्बर 26/2004 निर्णय दिनांक 25.02.2015 से निषेधाज्ञा का वादपत्र भी खारिज किया जा चुका है । नगर नियोजन विभाग द्वारा भी प्लान का अनुमोदन किया जा चुका है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी अन्तर्गत धारा 312 व 327 नगर पालिका कानून 2009 स्वीकार योग्य ठहरती है । नगर पालिका शाहपुरा का प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 13.05.2015 निरस्त किये जाने योग्य है एवं पुनर्विचार निर्णय दिनांक 14.10.2015 के अनुसार नगर पालिका शाहपुरा द्वारा की जा रही कार्यवाही विधि सम्मत है । अतएव–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 312 व 327 नगर पालिका कानून 2009 विरूद्ध आदेश नगर पालिका शाहपुरा प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 13.05.

2015 की स्वीकार की जाकर नगर पालिका शाहपुरा के प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 13.05.2015 को निरस्त किया जाता है एवं गैर निगराकार को निर्देश दिये जाते है कि निगराकार द्वारा यदि नीलामी राशि का 3/4 राशि अभी तक जमा नहीं करवाया है तो निगराकार से शेष राशि जमा करवाकर नगर पालिका शाहपुरा द्वारा पुनर्विचार निर्णय दिनांक 14.10.2015 के अनुमोदित प्लान के अनुसार निगराकार को पटटे जारी किये जावे एवं उनका निर्धारित रूप से पंजीयन करवाया जावे । तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति के अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका , शाहपुरा को पालनार्थ लौटाया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 21–12–2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

21/12/16

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)